न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.

(जीसीएमएस न. 2025/238)

प्रकरण संख्याः–142/2025

तारीख दायरः– 10/12/2025

निर्णय दिनांकः–06/01/2026

उनवान

1. घनश्याम पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ताल तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द ।

प्रार्थी ।

बनाम

1. पीरूलाल पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जरिये प्रतिनिध राजस्थान सरकार।

अप्रार्थी ।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि मौजा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 251 आराजी संख्या 331 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी इस पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोगा–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण संख्या की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफका कार्यवाही के आदेश दिए गए।अप्रार्थीगण संख्या 02 भूमि धारी होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(43) में अभिधारी को परिभाषित किया**

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

गया है। उक्त परिभाषा में एक सह अभिधारी (सहखातेदार) भी अभिधारी के रूप में अभिव्यक्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 251 आराजी संख्या 331 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

6/1/24

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द